

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक/एफ-7/1/92/10/3

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 1999

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- प्रदेश के वनों से निस्तार सुविधाएं/निस्तार दरों में की गई वृद्धि के संबंध में ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञात दिनांक 17-5-93

----0----

प्रदेश के वनों से ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तार सुविधा कराने के उद्देश्य से विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-7/1/92/10/3 दिनांक 12-4-77 द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत दरों का निर्धारण किया गया था उन दरों एवं सुविधाओं में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-7/23/79/10-3 दिनांक 18-9-85 एवं ज्ञाप क्रमांक /एफ-7/1/92/10/3 दिनांक 28-11-92 द्वारा परिवर्तन किा गया था ।

2/ अब राज्य शासन द्वारा उक्त निस्तार सुविधा एवं दरों में विभाग द्वारा जारी किये गये परिवर्तन के अनुक्रम में पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि:-

1- जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों को जलाऊ चट्टे सीधे कूपों से बेचे जाने हैं वहाँ रायल्टी रूपये 25/- (रूपये पच्चीस) प्रति चट्टा प्राप्त की जाए एवं इसमें वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर विक्रय दर निर्धारित की जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथ आदेशानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र.एफ-7/1/92/10/3

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 1999

प्रतिलिपि:-

- 1/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक म0प्र0
 - 2/ समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
 - 3/ समस्त जिलाध्यक्ष, म0प्र0
 - 4/ समस्त वन संरक्षक, म0प्र0
 - 5/ समस्त क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी म0प्र0
 - 6/ समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला प्रचायत म0प्र0
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग